(अर्श मलसियानी की कविता)

तेवर तो देख जमाने के

हर बात में आपाधापी है,
चालाकी है, तर्रारी है,
दुनिया के फसाने का उनवां
मक्कारी है, ऐय्यारी है,
अफ़सोस कि ऐसी दुनिया में तू
मस्ते–मए–खुद्दारी है,
तेवर तो देख जमाने के।

राहत का यहां अब काम नहीं,
यह दौर है रंजो–मुसीबत का,
मासूम की गर्दन कटती है,
सदचाक है दामन इस्मत का,
है नाज शराफ़त पर तुझको,
जिल्लत है मोल शराफत का,
तेवर तो देख जमाने के।

जहरीले डंक चलाते हैं
दुनिया पर यह दुनिया वाले,
गोरी कौमों की चांदी है,
मातूबे–मुकद्दर हैं काले,
तू क्यों है अमल से बेग़ाना,
ऐ कैफ़े–खुदी के मतवाले,
तेवर तो देख जमाने के।

जो खुद मंजिल से गाफ़िल हैं,
ऐसे हैं रहनुमा लाखों,
खुद उनकां जिनका हल न हुआ,
ऐसे हैं उकदह कुशा लाखों,
लेकिन तू अजज का बन्दा है,
जिस बन्दे के आका लाखों,
तेवर तो देख जमाने के।

हर घर में हवस का डेरा है,
हर देश में हिर्सपरस्ती है,
अकवाम के अम्न की खुद दुश्मन
अकवाम की गालिब दस्ती है,
कैफीयते–अम्न के शैदाई
तू माइले–कैफ़ो–मस्ती है,
तेवर तो देख जमाने के,

जरदार के पल्ले में शोहरत,
मुफलिस का जहां में नाम नहीं,
कसरत है खुदाओं की इतनी,
बन्दे का यहां कुछ काम नहीं,
मरने की दुआ हर लब पर है,
जीने का कहीं पैगाम नहीं,
तेवर तो देख जमाने के।

अब वजहे–फिसाद तिजारत है,
अब अम्न की जामिन जंग हुई,
नामूस पै मिटने की ख्वाहिश,
इस दौर में वजहे–नंग हुई,
अल्लाह के बन्दों पर तौबा,
अल्लाह की जमीं भी तंग हुई
तेवर तो देख जमाने के।

अब पिन्दो–नसायह सुनते हैं,
हम तोपों और मशीनों से,
होता है इलाजे–दर्द जहां,
तलवारों से–संगीनों से,
है अब तक लेकिन रब्त तुझे,
सज्दों से और जबीनों से,
तेवर तो देख जमाने के।

जड़ काट के रख तकलीद की तू,
तेवर भी देख जमाने के,
बुनियाद भी रख तजदीद की तू,
तेवर भी देख जमाने के,
उम्मीद भी रख ताईद की तू,
तेवर भी देख जमाने के,
तेवर भी देख जमाने के।

पेज 1 का शेष

बेगुनाह हत्यारोपी 22 माह बाद जेल से छूटे

लेकिन तत्कालीन सी पी (पुलिस आयुक्त) के आदेश पर चोरी के मामले में पकड़े गये दोनों चोरों को हत्या के बजाय केवल चोरी के मामले में ही आरोपी बनाया गया। सी पी का यह आदेश सी आई ए के तफ़्तीशी अधिकारी पर भारी पड़ने वाला था। आदेश की अवहेलना करना छोटे कर्मचारी के बस का नहीं और पकड़े जाने पर कपूर जैसे अफ़सर ज़िम्मेवारी लेने से साफ़ मना कर देते। इसी अंदेशे को ध्यान में रखते हुए तफ़्तीशी ने अपनी केस डायरी (जिमनियों) में सारी सच्चाई लिख कर थाना एन आई टी के तत्कालीन एस एच ओ अनिल कुमार को सौंप दी, वह जो चाहे करे।

एस एच ओ अनिल ने ज़्यादा होशियारी दिखाते हुए जिमनी से वह पन्ना ही फ़ाड़ दिया जिसमें चोरों ने हत्या का राज़ उगला था।

इसके बाद एस एच ओ ने उनको केवल चोरी में आरोपी बना कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर ली। जबकि बेगुनाहों के खिलाफ़ हत्या का मुकदमा चलता रहा।

पहली जनवरी 2014 को 'मज़दूर मोर्चा' में सारी कहानी प्रकाशित होने के बाद भी पुलिस महकमे ने कोई कार्यवाही करने की बजाय चुप रहना ही बेहतर समझा। दिनांक 8 जनवरी को जब इस संवाददाता ने डी जी पी श्रीनिवास वशिष्ठ से इस बाबत पूछा तो उन्होंने पूरे मामले से अनभिज्ञता जताई। 'मज़दूर मोर्चा' की प्रति मांगने पर उन्हें इन्टरनेट पर देखने को कहा गया, जो उन्होंने देख भी लिया। लेकिन कार्यवाही के नाम पर ज़ीरो बटा ज़ीरो ही रहा। शायद इस तरह के मामलों में कोई कार्यवाही करना उनके बस का नहीं। यह है हरियाणा पुलिस की पेशेवर कार्यकुशलता का नमूना।

14 जनवरी को यह मामला ट्रायल कोर्ट सैशन जज दर्शन सिंह के संज्ञान में एक मानवाधिकार मामलों के वकील जोशी द्वारा लाया गया। उस दिन जज साहब ने तुरन्त भी इस मामले में कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं समझी। अगली तारीख 24 जनवरी को जब पुन: 'मज़दूर मोर्चा' की प्रति फ़ाइल में लगी मिली तो उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिये और सी पी से जांच रिपोर्ट तलब की। सी पी की रिपोर्ट 24 फ़रवरी यानी पूरे एक माह बाद आई और तब कहीं जाकर उन दो बेगुनाहों को अदालत से राहत मिल पाई।

खैर जैसे तैसे दोनों बेगुनाह 26 फ़रवरी यानी कि पूरे 22 माह बाद जेल से रिहा हो पाये। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह रह गया कि पहली जनवरी को सारे केस का भंडा-फ़ोड़ होने के बावजूद भी ये दोनों जेल में क्यों सड़ते रहे?

8 जनवरी को डी जी पी, 14 जनवरी को सैशन जज के संज्ञान में मामला आ जाने के बाद भी मामले पर इतने दिन तक कार्यवाही न होने का क्या मतलब है? मतलब साफ़ है कि इस देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुकी है। इस व्यवस्था को चलाने वाले अधिकारियों का आम गरीब आदमी के मानवाधिकारों से कोई सरोकार नहीं रह गया है।

यदि मानवाधिकारों से ज़रा भी सरोकार इन अधिकारियों को होता तो पहली जनवरी को समाचार प्रकाशित होते ही इन्हें करंट लगने जैसा एहसास होना चाहिये था। तुरन्त बेगुनाहों को रिहा करना चाहिये था। बेगुनाहों को जेल में रखे जाने के एक-एक दिन का मुआवज़ा देना चाहिए था। और इन्हें जेल भेजने वाले अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए था।

यद्यपि खबर लिखे जाने तक अदालती आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन चर्चा है कि दोनों बेगुनाहों को किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा अभी तक नहीं की गयी है। इसके अलावा दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के नाम पर केवल एस एच ओ अनिल कुमार तथा सी आई ए के तफ़्तीशी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का जिक्र है।

यहां एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि एस एच ओ अनिल कुमार के विरुद्ध तो कार्यवाही करना ठीक बनता है, लेकिन सी आई ए के तफ़्तीशी अधिकारी का क्या दोष है? और यदि सारे काम के लिये जिम्मेदार छोटे मुलाजिम ही होते हैं तो ये बड़े-बड़े अफ़सर सरकार ने किस लिये पाल रखे हैं? क्या जनता के पैसे पर, कारों पर झंडियां लगा कर ऐश करना ही इनका काम है? तत्कालीन सी पी शत्रुजित कपूर की जानकारी एवं दिशा निर्देशन में घटना-स्थल बदला गया, चोरी की मालियत कम दिखाई गयी और कत्ल के आरोप में बेगुनाहों का ट्रायल जारी रखा गया। स्वयं डी जी पी वशिष्ठ की जानकारी में आने के बाद भी यह ट्रायल चलने दिया गया। क्या इनके खिलाफ़ आपराधिक मुकदमें दर्ज नहीं होने चाहियें?

मैराथन दौड़ : पर्यावरण के नाम पर हुड्डा की नौटंकी

वन विभाग के भ्रष्टतम अधिकारियों में से एक काद्यान दिनांक 31 जनवरी को सेवानिवृत हो गये थे। सेवा नियमों के अनुसार उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता था। परन्तु तमाम नियम कायदों को ताक पर रखते हुए उन्हें सेवा विस्तार देकर लूट के इस पद पर बनाये रखा गया है। जाहिर है लूट की इस वसूली के धंधे में हरेक पर तो विश्वास भी नहीं किया जा सकता क्या पता कौन खेमका या संजीव चतुर्वेदी निकल आये और जान को बबाल खड़ा हो जाय।

पर्यावरण के नाम पर लूट का सबसे घातक खेल आजकल अस्पतालों से निकलने वाले कचरे से खेला जा रहा है। विभिन्न

पेज 8 का शेष

पुलिस ने कहा सूचना नहीं: श्रम विभाग ने कुछ करना नहीं

1)बिजली के तमाम अस्थाई उपकरणों आदि की न तो विधिवत अर्थिंग की गयी थी न कोई सर्किट ब्रेकर लगाये गये थे। यह नियम 103 (6)की उल्लंघना है।

2) तमाम लिफ्ट करने वाले उपकरण विंच आदि का कभी भी किसी विशेषज्ञ से सामयिक निरीक्षण नहीं कराया गया। यह धारा 40 के नियम 122 का उल्लंघन है।

3) 18 मंजिला बिल्डिंग निर्माण में लगे श्रमिकों के ऊंचाई से गिर जाने के खतरे से बचाव के कोई उपाय नहीं किये गये जो धारा 40 के नियम 98 (5-6) की उल्लंघना है।

4) इतनी ऊंची बिल्डिंग के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सुरक्षा बैल्ट न देकर धारा 40 के नियम 244 का उल्लंघन किया है।

5) ऊंची बिल्डिंग से श्रमिकों या किसी सामान को गिरने से बचाने के लिये आवश्यक गार्डरेल्ज़ तथा टो-बोर्डज़ न लगा कर नियम 262 की उल्लंघना की है।

6) 5 विंच मशीनों की ड्राइविंग बेल्ट, मोटर पुल्ली तथा ट्रांसमिशन बेल्ट्ज़ के कवर न लगा कर धारा 40 के नियम 93 की उल्लंघना की है।

7) श्रमिकों को सिर पर पहनने के हेल्मेट न देकर नियम 102 की उल्लंघना की है।

8) सीमेंट के काम में लगे श्रमिकों को दस्ताने, चशमे, मास्क, बड़े जूते तथा हेल्मेट न देकर नियम 163 का उल्लंघन किया है।

9) लिफ्ट आपरेटर्ज, ड्राइवर व अन्य मशीनों को चलाने वाले श्रमिकों की नौकरी पर रखने से पूर्व मेडिकल जांच नहीं करा कर नियम 111 का उल्लंघन किया है।

10) निर्माण स्थल पर न तो कोई एम्बुलेंस पाई गयी और न ही किसी अस्पताल से आपात स्थिति में तुरंत मेडिकल सहायता प्राप्त करने की कोई व्यवस्था थी जो नियम 115 का उल्लंघन है।

11) पर्याप्त मात्रा में स्ट्रेचर आदि को निर्माण स्थल पर न रख कर नियम 116 का उल्लंघन किया है।

इन तमाम उल्लंघनाओं का हवाला देते हुए इन दोनों अधिकारियों ने बी ओ सी डब्लू कानून की धारा 43 (291) के तहत 12.9.13 को निर्माण कार्य बन्द करा दिया। और आगे की कार्यवाही अर्थात कोर्ट में मुकदमा दायर करने की स्वीकृति हेतु रिपोर्ट राज्य के श्रम आयुक्त (मुख्य कारखाना निरीक्षक)को भेज दी गयी।

जनसूचना अधिकारी वी.एस. धारीवाल द्वारा दी गयी सूचना और उसके साथ आई निरीक्षण रिपोर्ट को पढने से लगता है कि धारीवाल को बिल्कुल नहीं पता कि वह क्या सूचना दे रहा है और निरीक्षण रिपोर्ट में क्या लिखा है। **सूचना में धारीवाल कह रहा है कि यह मामला बी ओ सी डब्लू कानून के तहत नहीं आता, जबकि वह स्वयं डॉ. देसवाल के साथ मिल कर संयुक्त रूप से इसी कनून के तहत निर्माण स्थल का निरीक्षण करके कम्पनी को कुल 11 नियमों की उल्लंघना का दोषी पा कर उनका काम बन्द करवा रहा है। आगामी कार्यवाही हेतु वह अपनी निरीक्षण रिपोर्ट राज्य के श्रमायुक्त को भेज रहा है जबकि अपनी सूचना में वह कहता है कि उसने श्रमायुक्त को कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। और तो और वह मारे गये बाल-श्रमिक को श्रमिक ही नहीं मानता।**

श्रमिक हितों के लिये तैनात किये गये धारीवल के उक्त रवैये से सिद्ध होता है कि उनका श्रमिकहितों से कोई लेना-देना नहीं है। यहां तैनाती के दौरान उनका एकसुत्री कार्यक्रम मालिकान से मोटे पैसे वसूलना है। अपनी इस तैनाती को बनाये रखने के लिये यह जरूरी है कि वे अपनी लूट का बड़ा हिस्सा श्रम-मंत्री शिवचरणलाल की सेवा में अर्पित करते रहें। इसी सेवा का करिश्मा है कि धारीवाल जैसा नालायक व भ्रष्ट अधिकारी यहां तैनात है।

विदित हो कि इस मामले में पुलिस विभाग से भी आर टी आई की मार्फ़त सूचना ली गयी थी। उनक तर्क यह है कि उन्हें कोई लिखित सूचना ही नहीं मिली तो वे आगे कार्यवाही कैसे करते? जबकि पहले फ़ोन द्वारा और बाद में आर टी आई द्वारा फ़रीदाबाद पुलिस को बार-बार सूचित किया गया है।

जाहिर है न श्रम विभाग और न पुलिस विभाग ऐसे मामलों में कोई कार्यवाही करना चाहता है। क्योंकि कार्यवाही न करने के ही पैसे मिलते हैं।

प्रकार के इस कचरे को भिन्न-भिन्न तरीकों व संयन्त्रों द्वारा भिन्न-भिन्न तापमानों तक गरम कर नष्ट किया जाता है। इस काम के लिये न तो सरकार ने अपने किसी अस्पताल में कोई प्रबन्ध किया है न ही किसी निजी अस्पताल को ऐसा प्रबन्ध करने की इजाजत है। इसके पीछे मकसद केवल एक है कि पर्यावरण बोर्ड अर्थात् वी.एस. काद्यान द्वारा राज्य भर में नियुक्त किये गये चन्द गिने-चुने एजेंटों के माध्यम से उगाही कराना। कहने को तो इन एजेंटों ने अपने यहां तमाम तरह के आवश्यक उपकरण लगा रखे हैं, पर वास्तव में इनके पास कुछ भी नहीं है। ये लोग केवल सरकारी समेत सभी छोटे-बड़े अस्पतालों से पर्यावरण के नाम पर वसूली करते हैं जो काद्यान के माध्यम से हुड्डा तक पहुंचती है।

अस्पतालों का कचरा सही ढंग से नष्ट न किये जाने से जहां बायोवेस्ट वायु एवं जल को प्रदूषित करता है वहीं प्लास्टिक आदि वाला कचड़ा सीधे कबाड़ियों तक पहुंच कर रीसाइकिल हो जाता है और दोबारा विभिन्न प्रकार से इस्तेमाल में आने लगता है। इस प्लास्टिक से बनने वाले खाने-पीने के बर्तन तो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। पर हुड्डा को इससे क्या लेना-देना, कोई मरता है तो मरे उसकी बला से।

इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण के अनेकों स्रोत सरकार के आशीर्वाद से सक्रिय है। इन पर नागरिकों का कोई नियन्त्रण नहीं है। हां जिस दिन नागरिकों ने इसे नियन्त्रित करने की ठान ली उस दिन वे दौडेंगे नहीं बल्कि हुड्डा जैसों को दौड़ायेंगे।